OneCert Asia

वनसर्ट– एक परिचय

वनसर्ट एशिया एग्री सर्टिफिकेशन प्रा.लि. की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एवं क्वालिटी के सर्टिफिकेट को भारतीय दामों पर किसानों को उपलब्ध करने हेतु की गई है।

वनसर्ट एशिया यू.एस.ए. की प्रतिष्ठित एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली वनसर्ट Inc. की सहयोगी कम्पनी है। वनसर्ट, USDA-NOP (USA), EU 2092/91 (यूरोपीयन यूनियन), JAS (जापानी) के नियमों के आधार पर निरीक्षण करके सर्टिफिकेट प्रदान करती है। भारत में यह समस्त कार्य भारतीय स्टाफ द्वारा करे जाऐंगे। हमारे समस्त स्टाफ को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

हमने अपने सर्टिफिकेशन की प्रणाली बनाते वक्त इस बात पर पूरा ध्यान दिया है कि सर्टिफिकेशन प्रणाली आसान, किसानों को समझने योग्य हो, दस्तावेजीकरण आसान तथा हिन्दी में हो जिससे कि किसानों को अपना दस्तावेज बनाने में आसानी हो सके।

सम्पर्क

अगर कोई भी किसान हमसे सम्पर्क करना चाहता है तो वह हमें टेलीफोन कर सकता है। हमें पत्र लिख सकता है। स्वयं हमारे ऑफिस आकर सम्पर्क कर सकता है तथा किसी भी स्वयंसेवी संस्था मार्फत हमें सम्पर्क कर सकता है।

एप्लीकेशन

जब भी कोई किसान हमें सम्पर्क करता है तो हम उसे अपना एप्लीकेशन पैकैट (Application Packet) देते हैं। इस एप्लीकेशन पैकेट में उससे कृषि संबंधित जानकारी ली जाती है। इस एप्लीकेशन पैकेट के साथ पिछले तीन वर्षों से कृषि का इतिहास एवं एक करारनामा भी हस्ताक्षरित करना होता है। इस एप्लीकेशन पैकेट में दिये गये विभिन्न प्रारूपों को पूरा करके निर्धारित फीस सहित एवं हस्ताक्षर करके हमारे कार्यालय में जमा कराना होता है।

निरीक्षण

एप्लीकेशन पैकेट प्राप्त करने के पश्चात् हम अपने कार्यालय में उसकी जांच करते हैं। अगर जांच के दौरान कोई भी विवरण अधूरा रह जाता है अथवा कोई भी प्रश्न पूछना होता है तो किसान से पुनः सम्पर्क किया जाता है। समस्त प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद एवं एप्लीकेशन की जांच करने के पश्चात् उस फार्म (खेत) का निरीक्षण (इन्सपेक्शन) करने का कार्य एक ऑर्गेनिक निरीक्षक (ऑर्गेनिक इन्सपेक्टर) को सौंपा जाता है। यह निरीक्षक, किसान से सम्पर्क करके एक दिनांक का निर्धारण करता है तथा उस दिन किसान के खेत पर जाकर उसके दस्तावेज एवं खेत का निरीक्षण करता है। वह जांच के दौरान देखता है कि किसान ने कौन–कौन से पदार्थों का उपयोग किया है। कौनसी फसल उगाई है। कौनसी खाद दी है। कैसे कीट प्रबन्धन किया गया है, आदि। निरीक्षण की समाप्ति के बाद, निरीक्षक किसान से बातचीत करता है तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों की जानकारी देता है

तथा जो भी अन्य जानकारी चाहिए होती है उसके बारे में बताता है एवं उससे सलाह करके एक दिनांक निर्धारित करता है। इस दिनांक तक किसान को मांगी गई जानकारी देनी होती है।

समस्त जानकारियां प्राप्त करने के बाद निरीक्षक अपनी रिपोर्ट बनाकर जमा करवाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर किसान को सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यह सर्टिफिकेट अमूमन एक साल के लिए मान्य होता है तथा किसान को इस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष करवाना होता है।

एक किसान अपने किस–किस कार्य का प्रमाणीकरण करवा सकता है...

- खेत, जिस पर किसी भी प्रकार की फसल बोता हो।
- अनाज दालें, तिलहन, चारा इत्यादि।
- फलों के बगीचे।
- मुर्गीपालन
- डेयरी
- खाद एवं कीटनाशक बनाने के संयत्र
- बीज उत्पादन करने वाले फार्म
- मछली पालन
- नर्सरी तथा सभी प्रकार के कृषि उत्पाद

शुल्क (फीस)

किसान की भूमि के आधार पर सर्टिफिकेशन की फीस तय की जाती है।

किसान समूह के लिए शुल्क का निर्धारण समूह के सदस्य संख्या के आधार पर तय किया जाता है।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें–

वनसर्ट एशिया एग्री सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट नं 8, प्रताप नगर कॉलोनी,
ग्लास फैक्ट्री के पास, टोंक रोड,
जयपुर – 302017, राजस्थान
ई–मेलः info@onecertasia.in,
बेबसाइट : www.onecertasia.in